प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 22/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "सेट–टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी" पर सिफारिश जारी की।

1. नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2020: – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज डिजिटल टीवी प्रसारण सेवाओं के लिए इंटरऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) पर सिफारिशें जारी की हैं।

2. वर्तमान में केबल टीवी नेटवर्क में स्थापित एसटीबी नॉन–इंटरऑपरेबल हैं, यानी एक ही एसटीबी को अलग–अलग सेवा प्रदाताओं द्वारा आपस में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जहां तक डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) कंपनियों द्वारा स्थापित एसटीबी का संबंध है, एसटीबी कॉमन इंटरफेस (सीआई) मॉड्यूल आधारित इंटरऑपरेबिलिटी का सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस शर्तों का पालन करते हैं। हालांकि डीटीएच सेगमेंट में भी एसटीबी आसानी से इंटरऑपरेबल नहीं हैं। विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच एसटीबी की इंटरऑपरेबिलिटी की कमी ने न केवल ग्राहकों को अपने सेवा प्रदाताओं को बदलने की आजादी से वंचित किया है, बल्कि तकनीकी नवाचार, सेवा की गुणवत्ता में सुधार और क्षेत्र के विकास में भी एक बड़ी रुकावट खड़ी की है।

3. भादूविप्रा एसटीबी इंटरऑपरेबिलिटी शुरू करने के लिए काफी समय से हितधारकों के संपर्क में है। वितरण प्लेटफ़ॉर्म ओनर्स, सीएएस, विक्रेताओं, एसटीबी निर्माताओं और अन्य हितधारकों में असमान हित वाले समूहों के साथ इस मुद्दे की अपनी चुनौतियाँ हैं। चूंकि प्रसारण क्षेत्र सामग्री केंद्रित है, इसलिए सामग्री की सुरक्षा और मजबूत एंटी–पायरेसी फीचर्स आवश्यक हैं। एसटीबी की वहनीयता एक महत्वपूर्ण मानदंड बनी हुई है और किसी भी सुझाए गए समाधान से एसटीबी की कीमत में अनुचित वृद्धि नहीं होनी चाहिए। एसटीबी लागत को उचित रखते हुए उचित सामग्री सुरक्षा, मजबूत एंटी पाइरेसी फीचर्स और लचीलापन सुनिश्चित करना एसटीबी इंटरऑपरेबिलिटी हासिल करने के लिए मुख्य चुनौतियां हैं।

4. इस संबंध में, भादूविप्रा ने 11 नवंबर 2019 को 'सेट टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था, जिसमें एसटीबी की इंटरऑपरेबिलिटी को लागू करने के लिए उचित समाधान की पहचान करने के लिए सभी हितधारकों से विचार/प्रतिक्रिया मांगी गई थी। जवाब में, सैंतीस हितधारकों से टिप्पणियां और एक हितधारक से प्रति–टिप्पणी प्राप्त हुई। 29 जनवरी 2020 को एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई थी।

5. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/जानकारी, ओएचडी के दौरान की गई चर्चा और अपने विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने 'सेट टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी' पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

(i) भारत में सभी एसटीबी सैद्धांतिक रूप से तकनीकी इंटरऑपरेबिलिटी को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए अर्थात् उपभोक्ता को दिया गया प्रत्येक एसटीबी इंटरऑपरेबल होना चाहिए।

(ii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनुमति/पंजीकरण/केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली में उचित खंड/शर्त शमिल करें जिससे इंटरऑपरेबल एसटीबी, चाहे वे डीपीओ द्वारा मुहैया कराए गए हों या उपभोक्ता द्वारा खुले बाजार से खरीदे गए हों, के जरिये सेवा मुहैया कराने को सभी डीपीओ (डीटीएच और एमएसओ) के लिए अनिवार्य किया जा सकें।

(iii) यूनिवर्सल एसटीबी के मार्ग में तकनीकी और वाणिज्यिक बाधाएं हैं। इसलिए, मौजूदा खंड/शर्त में यथा निर्धारित तिथि से एसटीबी की इंटरऑपरेबिलिटी डीटीएच या केबल सेगमेंट में सुनिश्चित की जाए। इंटरऑपरेबिलिटी क्रमशः डीटीएच सेगमेंट और केबल सेगमेंट के भीतर लागू होगी।

iv. एमआईबी केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुसार केबल टीवी नेटवर्क नियमों (1994) में संशोधन या लाइसेंसिंग की शर्तो या किसी अन्य उपयुक्त मैकेनिज्म के माध्यम से भावी तारीख से एमएसओ द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे डीटीएच एसटीबी और एसटीबीएच, दोनों के लिए ईटीएसआईटीएस 103605 के अनुसार डीवीबी सीआई+2.0 मानकों (यूएसबी सीएएम सहित) को अनिवार्य उपयोग को अधिसूचित करें।

v. एमआईएस अधिसूचनाओं की तिथि से ईटीएसआईटीएस 103605 मानकों के अनुसार डीवीबी सीआई+2.0 मानकों (यूएसबी सीएएम सहित) को अपनाने के लिए डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ, दोनों को छह महीने का समय दिया जा सकता है। एमआईएस बीआईएस के साथ सहयोग करें ताकि इस समय सीमा के भीतर उपयुक्त संशोधन किए जा सकें।

vi. प्राधिकरण भारत में सभी डिजिटल टेलीविजन सेटों के लिए यूएसएस पोर्ट आधारित कॉमन इंटरफेस के अनिवार्य प्रावधान की सिफारिश करता है। भादूविप्रा के साथ समन्वय से सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बीआईएस से डिजिटल टेलीविज़न सेट के लिए विनिर्देशों का संशोधन करने का अनुरोध कर सकते हैं, जिसमें ईटीएसआईटीएस 103605 मानकों के अनुसार डीवीबी सीआई+2.0 मानकों के अनुसार, यूएसएस आधारित कॉमन इंटरफेस पोर्ट का प्रावधान शामिल किए जा सकें। ऐसे विनिर्देशों को टीवी निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य बनाना चाहिए किः

क) डीवीबी सी1 प्लस 2.0 मानकों के आधार पर सभी डिजिटल टेलीविज़न सेट में कम से कम एक खुला इंटरफ़ेस पोर्ट प्रदान करें, जिससे टेलीविज़न सिग्नलों को प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए यूएसएस सीएएम के सरल कनेक्शन को अनुमति दी जा सकें।

ख) सैटेलाइट और केबल दोनों प्लेटफार्मों के माध्यम से टेलीविजन सामग्री को प्राप्त करने बिल्ट इन ट्यूनर वाले डिजिटल टेलीविजन सेट प्रदान करें।

vii. समन्वय और कार्यान्वयन समिति का गठन करनाः

क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय मानक ब्यूरो के सदस्यों और टीवी निर्माताओं के प्रतिनिधियों को लेकर एक समन्वय समिति का गठन किया जा सकता है। समिति डीटीएच और केबल टीवी सेगमेंट दोनों के लिए संशोधित एसटीबी मानकों के कार्यान्वयन को लागू कर सकती है। इसके अलावा समिति ईटीएसआई टीएस 103 605 मानकों पर आधारित डीवीबी सीआई प्लस 2.0 पोर्ट प्रदान करने के लिए और डीटीएच और केबल टेलीविजन सिग्नल दोनों को प्राप्त करने का प्रावधान करने के लिए बीटीएस द्वारा डिजिटल टेलीविजन मानकों की स्थापना पर निरंतर नजर बनाए रख सकती है,

ख) समन्वय समिति संशोधित एसटीबी और डिजिटल टेलीविजन मानकों के अनुकूलन को समयबद्ध तरीके से बढ़ा सकती है।

6, सिफारिशें भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड की गई हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडसीएस), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से टेलीफोन नंबर + 91–11–23237922, फैक्स नंबर +91-11-23220442 या ईमेल advbcs-2@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

(सुनील कुमार गुप्ता)
सचिव/भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।